भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2559
जिसका उत्तर मंगलवार 01 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

बीएस IV वाहनों के लिए मानक

2559. श्री कोनाकल्ला नारायण राव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्णय लिया है कि केवल बीएस IV मानक का अनुपालन करने वाले वाहन ही 1 अप्रैल, 2017 से विनिर्मित किए जाऐंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 1 अप्रैल, 2017 के पश्चात गैर-बीएस IV वाहनों के पंजीकरण की अनुमति प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसए) ने निदेश दिए हैं कि वाहन विनिर्माता अप्रैल 2017 से पहले अपने गैर-बीएस IV वाहनों का भंडार समाप्त कर लें और भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी गैर-बीएस IV वाहनों की सूची जारी करने पर जोर दे रही है और उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण के प्रभाव के कारण 1 अप्रैल की अंतिम समय-सीमा को पूरा करना उनके लिए असंभव है; और

(घ) यदि हां, तो क्या बिना बिके गैर-बीएस IV वाहनों को 1 अप्रैल के पश्चात पंजीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई है अथवा सेवा समाप्त कर दी जाएगी?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2017 से संपूर्ण भारत के लिए दिनांक 19.08.2015 की अधिसूचना जीएसआर 643(ई) के द्वारा चौपहिया वाहनों के लिए, 12.06.2015 की अधिसूचना जीएसआर 487(ई) के द्वारा तिपहिया वाहनों के लिए और दिनांक 04.07.2014 की अधिसूचना जीएसआर 431(ई) के द्वारा दुपहिया वाहनों के लिए सामूहिक उत्सर्जन मानदण्ड अधिदेशित करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 में संशोधन किया है। अधिसूचनाओं के अनुसार 01 अप्रैल, 2017 को अथवा उसके पश्चात् विनिर्मित वाहनों के उपर्युक्त तीनों वर्गों के संबंध में भारत स्टेज IV के लिए सामूहिक उत्सर्जन मानक संपूर्ण भारत में लागू होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 29.03.2017 के अधिनिर्णय के अनुसार, "मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत वाहन पंजीकृत करने वाले सभी प्राधिकरणों को 01 अप्रैल, 2017 से उन वाहनों को पंजीकृत करना वर्जित है जो बीएस IV उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं, बशर्ते यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाए कि वाहन 31 मार्च, 2017 को अथवा उससे पहले ही बेचा जा चुका है"।

*****